(65) (165) (289) (21)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (1) DATED 21-6-1985.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st June, 1985.

NOTIFICATION

GSR 504 (E).- In exercise of the powers conferred by section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act,1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends the Agricultural Produce Cess Act, 1940 (27 of 1940), to the Union territory of Goa, Daman and Diu.

(165)

[No.U-11014/6/83-UTL]

(H.V.GOSWAMI)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, New Delhi.

India Code

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3 उप-खण्ड (i)

दिनांक 21-6-1985 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून, 1985.

अधिसूचना

सा.का.नि. 504 (अ) गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 (1940 का 27) का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन दीव तक करती है ।

/सं0यू0-11014/6/83-यू0टी0एल0/

(एच0वी0 गोस्वामी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, इंडस्ट्रियल एरिया,
रिंग रोड, नई दिल्ली ।
